भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2212

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नकली दवाएं

†2212. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा वर्ष-वार कितनी नकली दवाएं जब्त की गई हैं; और
(ख) सरकार द्वारा उन विनिर्माताओं के विरुद्ध की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत "नकली दवाएँ" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम नकली, मिलावटी, गलत ब्रांड वाली दवाओं को परिभाषित करता है, जिसमें नकली दवाएँ भी शामिल हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रक द्वारा मानक गुणवत्ता के अननुरूप/नकली/मिलावटी दवाओं के नमूनों की संख्या और की गई प्रवर्तन कार्रवाई की जानकारी नीचे दी गई है:

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	परीक्षण किये गये दवाओं के नमूनों की संख्या	गुणवत्ता मानक के अननुरूप दवाओं के नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी घोषित दवाओं के नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी दवाओं के विनिर्माण, विक्रय और वितरण के लिए शुरु किए गए अभियोजनों की संख्या
2020-21	84,874	2652	263	236
2021-22	88,844	2545	379	592
2022-23	96,713	3053	424	663
2023-24	1,06,150	2988	282	604
2024-25	1,16,323	3104	245	961

गुणवत्ता निगरानी के अंतर्गत, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा प्राप्त गुणवत्ता जाँच में विफल नमूनों को मासिक औषधि अलर्ट के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, ताकि इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। इन दवाओं का विवरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की वेबसाइट पर 'ड्रग अलर्ट' शीर्षक (www.cdsco.gov.in) के अंतर्गत उपलब्ध है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा एनएसक्यू (एनएसक्यू) घोषित किए गए औषधि नमूनों को संबंधित विनिर्माता फर्मों से इन औषधियों को तत्काल वापस लेने और बाजार में मानक गुणवत्ता वाली दवाओं का वितरण आगे रोकने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, जाँच परिणामों के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों जैसे उत्पादन रोकने के आदेश, परीक्षण रोकने के आदेश, लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई की जाती है।
